न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या 18 / 2023 दायर दिनांक 17.04.2023 निर्णय दिनांक 6.6.2024

1. नराराम पुत्र दमाराम जाति जाट निवासी लाखासर पाबूसर तहसील शेरगढ

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर
2. टिकूराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी लाखासर पाबूसर
3. दीपाराम पुत्र खरताराम जाति जाट निवासी लाखासर पाबूसर
4. रूपाराम पुत्र खरताराम जाति जाट निवासी लाखासर पाबूसर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

अधिनियम वास्ते पत्थर गड्डी एंव सीमांकन बाबत्

उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजयनाथ उपस्थित।
अप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण के सक्षिप्त तय इस प्रकार है कि प्राथीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम लाखासर पटवार हल्का पाबूसर तहसील शेरगढ के खसरा नम्बर 820 / 1 रकबा 2.5090 हेक्टेयर भूमि आई हुई है । प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 820 / 1 का पूर्व मे सयुक्त खातेदारी की भूमि रही सयुक्त खातेदारी की भूमि के पूर्व में खसरा नम्बर 820 राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहा है प्रार्थी एवं खसरा नम्बर 820 की भूमि के खातेदारों में आपसी सहमति से विभाजन होने के बाद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 820 / 1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया ।

प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर 820 / 1 की भूमि के पास ही अप्रार्थी सख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 810 , 812 / 4 एवं 864 / 4 की भूमि आई हुई है इस प्रकार से

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ (जोधपुर)

अप्रार्थीण सख्या 3 व 4 की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 821/2 की कृषि भूमि आई हुई है ।

प्रार्थीने अपने मूल खसरा नम्बर 820 की पैमाईश बाबत प्रार्थी द्वारा तहसीलदार शेरगढ के समक्ष दिनांक 13.12.2022 को औन लाईन आवेदन करने पर तहसीलदार शेरगढ के समक्ष दिनांक 13.12.2022 को ऑनलाईन आवेदन करने तहसीलदार शेरगढ द्वारा दिनांक 26.12.2022 को हल्का पटवारी पाबूसर को आदेश कमांक भू.अ./2022/123 दिनांक 26.12.2022 की पालना में हल्का पटवारी पाबूसर द्वारा दिनांक 9.4.2023 को ग्राम लाखासर के खसरा नम्बर 820 की मौके पर जाकर पडौसी खातेदार एवं मौजिज लोगो की उपस्थिति में जरीब चलाकर मुतकिल बिन्दुओं से पैमाईश कर मौके पर खसरा नम्बर 820 की माठे कायम कर पैमाईश की जाकर मौका फर्द तैयार कर दिनांक 12.4.2023 को तहसीलदार को रिपोर्ट पेश की गइ मौके पर हस्ताक्षर करवाये गये ।

प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर 820/1 की भूमि का तन्हा अर्थात एक मात्र खातेदार है जो अपने उक्त खसरा नम्बर 820/1 की भूमि पर सुधार व विकास करवाना चाहता है इसलिए नक्शा ट्रेस में सीमांकन अनुसार अपने उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर पत्थरगढी करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थी की ओर से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है ।

चूकी उक्त खसरा नम्बर 820/1 की भूमि प्रार्थी स्वयं की खातेदारी व कब्जा काश्त की है जिस पर नक्शा ट्रैस में मार्कीग की हुई है केवल मात्र पत्थरगढी किया जाना शेष है प्रार्थी अपने कब्जे काश्त की भूमि पर विकास व सुधार करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थी अपने मूल खसरा नम्बर 820 की पैमाईश अनुसार अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 820/1 की भूमि की ट्रैस नक्शा की मार्कीग अनुसार व खसरा नम्बर 820/1 की मौका फर्द अनुसार पत्थर गढी करना आवश्यक हो गया है यदि प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर 820/1 की पत्थर गढी की जाती है तो उससे अन्य किसी को किसी प्रकार का नुकसान या क्षति होने का प्रश्न पैदा नही होता है लेकिन फिर भी मौके पर पडौसी खातेदारों द्वारा दखलअन्दाजी करने की स्थिति में जरिये पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाई जाकर पत्थरगढी करने का आदेश दिया जाना उचित है ।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ (जोधपुर)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की एकल खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि ग्राम लाखासर में स्थित खसरा नम्बर 820/1 की कृषि भूमि पटवार हल्का पाबूसर तहसील शेरगढ में स्थित नक्शा टेस में सीमांकन अनुसार एवं मौका फर्द अनुसार प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 820/1 की पत्थर गढी जरिये पुलिस इमदाद के कराये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये । अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया । जवाब में बताया की पटवारी हल्का पाबूसर से रिपोर्ट ली गई जो सलग्न है मौके पर विवादीत दोनों पक्षों को सुनकर ग्राम लाखासर के विवादीत खसरा नम्बर 820/1 (वर्तमान जमाबंदी में इसी खसरे का खसरा नम्बर 1035/820 दर्ज है) की नेखमबंदी या पत्थर गढी के आदेश पारित किये जाते हैतो कोई आपत्ति नही है ।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता एवं राज पैरोकार की बहस सुनी गई । बहस पर मनन करने एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया अतः ग्राम लाखासर के विवादीत खसरा नम्बर 820/1 (वर्तमान जमाबंदी में इसी खसरे का खसरा नम्बर 1035/820 दर्ज है) की नेखमबंदी करने का आदेश तहसीलदार शेरगढ को दिया जाता है आवश्यकता होने पर तहसीलदार शेरगढ पुलिस इम्दाद प्राप्त कर सकते है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

भागीरथराम
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ़ (जोधपुर)